न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 42/2021

किशन सिंह पुत्र मोती सिंह जाति राजपूत निवासी पुरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. चावली पत्नी आदराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, पुरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पुरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रावतसर, दिनांक 31.12.2019 व 17.07.2020
प्रकरण संख्या 437/2019

उपस्थितिः—

श्री भवानी सिंह निरवाण, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजेन्द्र भुंवाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 08.10.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत पेश कर कथन किया कि वादिया के नाम रोही मोजा पुरबसर के खसरा नम्बर 339 की 3.542 हैक्टेयर, 341 की 2.909 हैक्टेयर कुल 6.451 हैक्टेयर बारानी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 340 की 0.227 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त गैर मुमकिन भूमि के बारे में पटवारी हल्का से मालूम किया तो बताया कि उक्त भूमि कब्रिस्तान भूमि थी, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। उक्त कब्रिस्तान की भूमि खसरा नम्बर 339 की 3.542 हैक्टेयर, 341/2.909 हैक्टेयर कुल 6.451 हैक्टेयर के बीचो बीच स्थित है जिसके लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है जिससे कि इस इस भूमि का उपयोग कब्रिस्तान के लिए हो सकें। वादिया का निवेदन है कि खसरा नम्बर 340 की 0.227 हैक्टेयर भूमि जो गैर मुमकिन कब्रिस्तान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, को वादिया की खसरा नम्बर 339 की 3.542 हैक्टेयर, 341 की 2.909 हैक्टेयर कुल 6.451 हैक्टेयर भूमि के खसरा नम्बर 339 के उत्तरी पूर्वी छोर पर राजस्व रिकार्ड में ~~दुरुस्त~~ तरमीम कर फिट की जावे तो वादिया को भी काश्त में सुविधा रहेगी तथा विवादित भूमि का भी अगर भविष्य में कब्रिस्तान के रूप में उपयोग किया जाता है तो आवागमन के रूप में रास्ता की सुविधा रहेगी। इस संबंध में वादिया ने प्रतिवादी संख्या 3 को कई बार निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा इन्कार कर दिया गया। अतः निवेदन है कि वाद वादिया स्वीकार कर खसरा नम्बर 340 की 0.227 हैक्टेयर भूमि क[illegible] को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादिया की [illegible] नम्बर 339 [illegible] उत्तरी पूर्वी छोर पर रास्ता के चिपती हुई 0.227 [illegible]न कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर जवाब दावा पेश हुआ।

3. सुनवाई करने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने दिनांक 31.12.2019 को वाद स्वीकार किया गया एवं वादिया द्वारा सी पी सी की धारा 151–152 के तहत दिनांक 09.07.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 17.07.2020 को स्वीकार किया गया। उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को न तो पक्षकार बनाया, न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलांट ने अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 340 की 0.227 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान के रूप में उपयोग हो रही है एवं रिकार्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 को खातेदारी प्रदान की गई है एवं खसरा नम्बर 339 की 0.227 हैक्टेयर भूमि के बदले में खसरा नम्बर 340 की 0.227 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की है ऐसा आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है अतः धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

6. अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2019 व 17.07.2020 पारित करने से पूर्व अपीलांट को न तो सुना गया और न ही पक्षकार बनाया जिसकी जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेशकर दी। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 339 व 341 में 6.451 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 340 की 0.227 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज है जिसका कब्रिस्तान के रूप में कभी उपयोग नहीं हुआ, न ही इस भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। गांव में शमशान व कब्रिस्तान अलग–अलग है। अपीलांट अन्य समुदाय से सम्बन्धित है जिसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। साथ ही कब्रिस्तान के लिए अन्य भूमि दर्ज करने के आदेश दिये हैं जिससे अपीलांट को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर पेश की है। देरी बाबत् समुचित कारण अंकित नहीं किये है। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पोडेंट ने आर आर टी 2011 (2) पेज 851, 2016–17 आर आरटी 158 की नजीरें पेश की ओर कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 सी पी सी पर, मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण के आधार पर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे।

8. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9. अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 340 की 0.227 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान के रूप में उपयोग होती आ रही है जिसे रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के जो आदेश दिये है वह उचित नहीं है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह माना जा सके कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विवादित भूमि के चिपती हुई जमीन अपीलांट की हो एवं अपीलांट इसी गांव का निवासी हो। साथ ही अपीलांट की जाति राजपूत है एवं कब्रिस्तान के रूप में उपयोग की जाने वाली भूमि अन्य समुदाय के लोगों द्वारा उपयोग की जाती है। इस न्यायालय में अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 1 व धारा 107 सी पी सी का पेश होने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2021 को तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार ने दिनांक 27.08.2021 को इस न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकन है कि जो भूमि कब्रिस्तान के नाम दर्ज है वहां कंटिली झाडियों की बाड़ से पशुओं के लिए बाड़ा बना हुआ है एवं कब्रिस्तान की भूमि से चिपता हुआ रास्ता नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

10. अपीलांट द्वारा अपील आदेश दिनांक 31.12.2019 व 17.07.2020 के विरूद्ध दिनांक 12.03.2021 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा प्रत्युतर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया गया है। साथ ही अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

11. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है वादिया की भूमि खसरा नम्बर 339 व 341 में 6.451 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 340 की 0.227 हैक्टेयर [illegible] मुमकिन कब्रिस्तान के रूप में राजस्व रिकार्ड में [illegible] है वह वादि[illegible] की भूमि के बीचो बीच स्थित है जिसके लिए आने [illegible] उपलब्ध नहीं है जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 27.08.2021 से होती है एवं कब्रिस्तान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नाम दर्ज भूमि पर कंटिली झाड़ियां लगी हुई है एवं पशुओं के लिए बाड़ा बना हुआ है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो भूमि राजस्व रिकार्ड में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी उसका उपयोग कब्रिस्तान के रूप में नहीं हो रहा है। वादिया द्वारा वाद पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने कब्रिस्तान की भूमि को वादिया के पक्ष में खातेदार घोषित करने के जो आदेश दिये है एवं खसरा नम्बर 339 की 0.227 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज करने के जो आदेश दिये हैं उसमें हमारे विचार से कोई त्रुटि नहीं है। इससे किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान होने वाला प्रतीत नहीं होता।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर अपील खारिज किये जाने योग्य होने के साथ–साथ गुणावगुण पर भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट दोनों बिन्दुओं पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 08.10.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/10/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:52 IST
Reason: SelfAttested